सूचना
आपका अधिकार
उत्तराखण्ड सूचना आयोग की मासिक पत्रिका

अंक : मई, 2015

डा. के. के. पाल
राज्यपाल, उत्तराखण्ड

राजभवन
देहरादून - 248 003

23 अप्रैल, 2015

''संदेश''

मुझे यह जानकर प्रसन्ता है कि उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा प्रदेश के नागरिकों तथा सूचना का अधिकार अधिनियम के कियान्वयन से जुड़े लोक सेवकों के उपयोगार्थ 'सूचना आपका अधिकार' नाम से मासिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारम्भ किया जा रहा है।

सूचना का अधिकार अधिनियम शासकीय कार्य प्रणाली में पारदर्शिता लाकर शासन को नागरिकों के प्रति अधिक से अधिक उत्तरदायी बनाने में सक्षम है। लोकहित में इस अधिनियम को अधिक प्रभावी और उपयोगी बनाने की दृष्टि से इसका व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाना भी आवश्यक है।

मुझे विश्वास है कि आयोग की मासिक पत्रिका के प्रत्येक अंक में नागरिकों के लिए उपयोगी तथा अद्यावधिक ज्ञानवर्धक सामग्री को स्थान दिया जायेगा।

आयोग की इस पहल की सराहना के साथ ही पत्रिका के प्रवेशांक की सफलता के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

(डॉ0 के.के. पाल)

हरीश रावत
मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सचिवालय,
देहरादून - 248001
फोन : 0135-2755177 (का.)
0135-2650423
फोन : 0135-2712827

''संदेश''

यह अत्यन्त हर्ष का विषय है कि उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा एक ऐसी मासिक पत्रिका प्रारम्भ की जा रही है जिसका लक्ष्य हमारे प्रदेश के सुदूरवर्ती ग्रामीण एवं पर्वतीय अंचलों तथा महिलाओं के मध्य सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रचार प्रसार के साथ–साथ लोक सूचना अधिकारियों को अधिनियम की बारीकियों से अवगत कराना है। निःसंदेह ही यह एक सकारात्मक एवं प्रभावी प्रयास है, जिसकी पूर्ण सफलता हेतु मैं उत्तराखण्ड सूचना आयोग को शुभकामना देना चाहता हूँ।

सूचना का अधिकार अधिनियम को सम्पूर्ण भारतवर्ष में इस उद्देश्य से लागू किया गया है जिससे कि सामान्य नागरिकों को लोक प्राधिकारियों द्वारा धारित विभिन्न सूचनाओं तक सरलता से पहुँच उपलब्ध हो सके तथा सभी लोक प्राधिकारियों के कार्यों में पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व को बढ़ाया जा सके।

उत्तराखण्ड सूचना आयोग की गणना देश के प्रमुख सूचना आयोगों में की जाती है तथा मेरा पूर्ण विश्वास है कि यह पत्रिका न केवल जन सामान्य में अधिनियम के प्रति जागरूकता बढाने एवं अधिनियम के प्राविधानों का सही प्रकार से उपयोग करने में उपयोगी होगी, बल्कि अधिनियम के विभिन्न प्राविधानों को लोक प्राधिकारियों के स्तर पर सफलता से क्रियान्वित कराने में भी पत्रिका एक महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी।

(हरीश रावत)

'निजता' बनाम 'सूचना'

निजता और सूचना के द्वंद्व को सही परिप्रेक्ष्य मे समझना सूचना आन्दोलन की आज की सबसे बड़ी चुनौती है। इसके विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला जा रहा है– मध्य पृष्ठों पर

'तृतीय पक्ष' की सूचना देने की प्रक्रिया – *पढ़िये पृष्ठ 8 पर*

मंजिलें और भी हैं ... *प्रभात डबराल*

समाज के विभिन्न तबकों के लंबे आंदोलन के बाद प्राप्त सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 इस देश की जनता की आजादी के बाद की सबसे बड़ी उपलब्धि है। पिछले दस वर्षों में इस कानून ने अनेकों सफलताएं प्राप्त की हैं। नागरिकों की व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान के अलावा इस कानून के लागू होने के बाद से सरकारी कामकाज में पारदर्शिता के एक नए युग का सूत्रपात हुआ है, जिससे गोपनीयता के अंधकार में पनपने वाली अनेक बीमारियों, यथा भ्रष्टाचार, पक्षपात और भाई–भतीजावाद में बड़ी हद तक कमी आई है।

सरकारी व गैर–सरकारी संगठनों द्वारा हाल के वर्षों में किए गए अनेक सर्वेक्षण बताते हैं कि सूचना अधिकार अधिनियम का सरकारी कामकाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। लेकिन सब कुछ ठीक हो गया हो, ऐसा नहीं है।

यह सुधार एक सतत् प्रक्रिया है। जन–प्रशासन में दशकों से घर कर चुकी जड़ता और भ्रष्टाचार एक झटके में दूर हो जाएंगे, ऐसी अपेक्षा इस कानून के बनाने वालों ने भी नहीं की थी। इसलिए सूचना के अधिकार के कारण आए परिवर्तन के परिणाम तत्काल दिखाई देने लगेंगे इसकी अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए।

व्यापक फलक पर लोक–प्रशासन में सुधार लाने के साथ–साथ इस अधिनियम के प्रयोग से लोगों

शेष पृष्ठ 8 पर

सन्देश

मुझे यह जानकर अत्यधिक प्रसन्नता है कि उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा प्रदेश के नागरिकों एवं सूचना का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन से जुड़े लोकसेवकों के उपयोगार्थ एक मासिक पत्रिका प्रारंभ की जा रही है।

सूचना का अधिकार अधिनियम एक अत्यंत क्रान्तिकारी एवं युग प्रवर्तक अधिनियम है जिसका मूल उद्देश्य नागरिकों को अधिकार सम्पन्न बनाना, सरकार की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता तथा जबाबदेही को बड़ावा देना तथा भ्रष्टाचार को कम करना एवं लोकतंत्र को नागरिकों के हित में सही अर्थों में सार्थक बनाकर एक जाग्रत एवं प्रबुद्ध नागरिक वर्ग का शासन तंत्र पर आवश्यक निगरानी सुनिश्चित कराते हुए शासन का शासित के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना है.

प्रदेश के पर्वतीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में इस अधिनियम का प्रयोग बहुत कम हो रहा है तथा महिलाओं एवं समाज के कमजोर वर्गों तक यह अधिनियम अभी तक अपनी अपेक्षित पहुँच नहीं बना सका है। अतः इन क्षेत्रों तथा वर्गों के मध्य सूचना का अधिकार के व्यापक प्रसार–प्रचार के लिये समुचित प्रयास किये जाने आवश्यक हैं ताकि प्रत्येक क्षेत्र एवं वर्ग इस अधिनियम का उपयोग लोकहित में कर सके . सूचना का अधिकार अधिनियम में इसके प्राविधानों के समुचित प्रसार–प्रचार हेतु सरकार को अधिदेशित भी किया गया है.

मै उत्तराखण्ड सूचना आयोग के इस पहल एवं प्रयास की सराहना करता हूँ तथा आशा करता हूँ कि यह पत्रिका न केवल अधिनियम के प्राविधानों की समुचित जानकारी देगी बल्कि इसके प्रत्येक अंक में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ,माननीय उच्च न्यायालय तथा आयोग के महत्वपूर्ण निर्णयों के अद्यावधिक सार भी लक्षित पाठक वर्ग के समक्ष प्रस्तुत कर उन्हें लाभान्वित करेगी .

इस मासिक पत्रिका के प्रथम अंक के प्रकाशन के अवसर पर मै अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देने हुए इसके सुदीर्घ एवं सार्थक प्रकाशन की कामना करता हूँ .

नृपसिंह नपलच्याल
पूर्व राज्य मुख्य सूचना आयुक्त
उत्तराखण्ड सूचना आयोग

Message

I am indeed very happy to learn that Uttarakhand Information Commission is bringing out a monthly News Letter with a view to educate and inform about intricacies of the Right to Information Act, 2005 especially targeted at remote mountain regions and women-users, besides helping the Public Information Officers (PIOs). It is indeed a most laudable initiative and I wish to extend my best wishes to the Commission for its success.

Uttarakhand Information Commission from the very beginning has been in the fore-front in the country and known for its various innovative and pro-active initiatives, ensuring that the benefit of RTI Act reaches to every one who resorts to its use.

I am also happy to inform you that even though Munsyari in Pithoragarh district is such a remote and predominantly tribal region, from the beginning the citizens here have been making use of this revolutionary law and the local people have benefitted considerably through its use.

With the publication of the Newsletter the present movement of mainstreaming of the transparency culture in the society is bound to be strengthened further, one is quite sanguine about it.

My best wishes to the Uttarakhand Information Commission family and all those who are part and parcel of the Transparency and Accountability culture. I look forward to not only receiving the inaugural issue of this Newsletter but also wish to be one of its regular reader and contributor.

R S Tolia
Ex CIC Uttarakhand

सूचना का अधिकार अधिनियम के प्राविधानों के उपयोग से सम्बधित महत्वपूर्ण तथ्य

लोक सूचना अधिकारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिये अन्य व्यक्ति की सहायता ले सकता है। जैसे कार्यालय में पटल सहायक जिसकी अभिरक्षा में अभिलेख हैं उससे सूचना के अभिलेख की छायाप्रति तैयार कराकर उपलब्ध कराने के लिए सहायता लेना। इसी प्रकार सक्षम अधिकारी से सूचना की छायाप्रति प्राप्त करने के लिए अनुमति देने के लिए अनुरोध करना, सक्षम अधिकारी से कर्तव्यों के निर्वहन के लिए सहायता प्राप्त करना है। कम्प्यूटर से मांगी गई सूचना की सी0डी0 तैयार करने के लिए अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर सूचना देने के लिए सूचना निर्धारित समय के अन्दर अनुरोधकर्ता को मिले इसका पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण लोक सूचना अधिकारी ही रखेगा। वह प्रयत्न करके निर्धारित 30 दिन की अवधि से पूर्व अनुरोधकर्ता को सूचना देगा। लोक सूचना अधिकारी सूचना देने के लिए अन्य व्यक्ति, जिसकी सहायता वह ले सकता है, पर सूचना देने की जिम्मेदारी नहीं डालेगा।

सूचना के लिए अनुरोध पत्र में प्रकटन योग्य सूचना जब अनुरोधकर्ता को नहीं दी गयी अथवा विलम्ब से दी गयी तब द्वितीय अपील में लोक सूचना अधिकारी के द्वारा यह कहना पर्याप्त नहीं है कि अन्य व्यक्ति जिसकी सहायता मांगी गयी वह व्यक्ति उसके लिए उत्तरदायी है। लोक सूचना अधिकारी को द्वितीय अपील में बताना होगा कि लोक सूचना अधिकारी ने अनुरोधकर्ता को निर्धारित 30 दिन में सूचना देने के लिए जिन अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों की सहायता ली, उनसे जो सहायता मांगी गयी, उसे प्राप्त करने के लिए उसके द्वारा क्या प्रयत्न किये गये और उसके प्रयत्न करने पर भी अन्य व्यक्ति द्वारा सहायता न देने अथवा अनुचित विलम्ब करने पर उसके द्वारा सूचना निर्धारित समय में अनुरोधकर्ता को उपलब्ध कराने के लिए क्या किया गया। लोक सूचना अधिकारी का स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नहीं होने पर सूचना आयोग द्वारा शास्ति आरोपण लोक सूचना अधिकारी पर किया जायेगा। लोक सूचना अधिकारी का स्पष्टीकरण सन्तोषजनक होने पर अन्य व्यक्ति (यों) जिनके द्वारा सहायता सम्यक रूप से नहीं दी गयी, सूचना आयोग उन पर शास्ति आरोपित करेगा।

अधिनियम, नागरिकों को संसद–सदस्यों और राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के बराबर सूचना का अधिकार प्रदान करता है। अधिनियम के अनुसार ऐसी सूचना, जिसे संसद अथवा राज्य विधानमण्डल को देने से इन्कार नहीं किया जा सकता, उसे किसी व्यक्ति को देने से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। अधिनियम के अंतर्गत सूचना का अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। अधिनियम में निगम, संघ, कम्पनी आदि को, जो वैध हस्तियों/व्यक्तियों की परिभाषा के अंतर्गत तो आते हैं, किन्तु नागरिक की परिभाषा में नहीं आते, को सूचना देने का कोई प्रावधान नहीं है। फिर भी, यदि किसी निगम, संघ, कम्पनी, गैर सरकारी संगठन आदि के किसी ऐसे कर्मचारी या अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र दिया जाता है, जो भारत का नागरिक है, तो उसे सूचना दी जाएगी, बशर्ते वह अपना नाम इंगित करे। ऐसे मामले में, यह माना जाएगा कि एक नागरिक द्वारा निगम आदि के पते पर सूचना मांगी गई है।

लोक सूचना अधिकारी ध्यान दें !

यदि लोक सूचना अधिकारी अपने पास आवेदन आते ही उस पर बिंदुवार कार्रवाई करते हुए अपने विभाग के उन पटलों/अधिकारियों को पत्र लिखकर उनसे संबंधित सूचना मांग लें जिनके पास संबंधित पत्रावली है, तथा बीस दिन से पहले कम से कम एक बार अनुस्मारक भी दे दें, तो आमतौर पर यह माना जाएगा कि उन्होंने विधि सम्मत कारवाई की है। ऐसे में यदि विलम्ब हुआ, तो हो सकता है कि इसका दोष उन पर न लगे। धारा 5(4) के तहत सूचना मांगते समय लोक सूचना अधिकारी को इस बात से घबराना नहीं चाहिए कि जिस अधिकारी से सूचना देने में सहयोग मांगा जा रहा है वह उनसे ऊंचे ओहदे पर है। लोक सूचना अधिकारी अपने विधि आच्छादित कर्तव्य का पालन कर रहे हैं और इस कर्तव्य का अनुपालन न करना दंडनीय है, इस बात को वरिष्ठ अधिकारी भी अच्छी तरह समझते हैं। इसलिए निडर होकर चिट्ठियां लिखें और संबंधित अधिकारी से सूचना देने के लिए सहयोग मांगें। यदि आप डरे तो इसका खामियाजा आप ही को भुगतना होगा।

'पत्रावली उच्च स्तर पर प्रचलित है,' आवेदक को यह जानकारी देकर लोक सूचना अधिकारी अपने लिए मुसीबत मोल ले रहे होते हैं। होना यह चाहिए कि लोक सूचना अधिकारी संबंधित 'उच्च स्तर' से पत्र लिखकर सहयोग मांगें और यदि समय पर सहयोग नहीं मिलता तो अनुस्मारक भेजें। यदि उन्होंने ऐसा कर लिया और फिर भी सूचना देने में विलंब हुआ तो हो सकता है कि उस विलंब के लिए उनके (लोक सूचना अधिकारी के) स्थान पर संबंधित 'उच्च स्तर' को जिम्मेदार माना जाए।

कुछ लोक सूचना अधिकारी अपने कर्तव्य को बोझ समझने लगते हैं। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि उन्हें लगता है कि सूचना प्रदान करने के क्रम में अन्य अधिकारी/कर्मचारी, जो लोक सूचना अधिकारी नहीं हैं, उनसे सहयोग नहीं करते। यह सोच सही नहीं है। सूचना देने में कोई अधिकारी या कर्मचारी सहयोग न करे ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि हर एक वो अधिकारी/कर्मचारी जिससे सूचना मांगी जा रही है, स्वतः ही लोक सूचना अधिकारी नामित हो जाता है। यदि सूझबूझ से कार्य लिया जाए तो सूचना अधिकार का कार्य बोझ नहीं लगेगा।

ध्यान रहे कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 5(4) व 5(5) में प्राविधान है कि :

5(4) : लोक सूचना अधिकारी, ऐसे किसी अन्य अधिकारी की सहायता की मांग कर सकेगा, जिसे वह अपने कृत्यों के समुचित निर्वहन के लिए आवश्यक समझे।

5(5) : कोई अधिकारी, जिसकी उपधारा (4) के अधीन सहायता चाही गई है, उसकी सहायता चाहने वाले लोक सूचना अधिकारी को सभी सहायता प्रदान करेगा और इस अधिनियम के उपबंधों के किसी उल्लंघन के प्रयोजनों के लिए ऐसे अन्य अधिकारी को, लोक सूचना अधिकारी समझा जायेगा।

अर्थात जिस अधिकारी/कर्मचारी से सूचना देने में सहयोग मांगा गया है वह स्वतः ही लोक सूचना अधिकारी नामित हो जाता है और यदि सूचना देने में विलंब होता है तो उनके स्तर से हुए विलंब को भी संज्ञान में लिया जाएगा।

अन्तरिम आदेश डाक से नही मिलेंगे : ऑनलाईन देखिए

आयोग में योजित विभिन्न द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों की सुनवायी के उपरान्त जारी अंतरिम आदेशों की प्रतियों को लोक सूचना अधिकारियों तथा अपीलकर्ताओं/शिकायतकर्ताओं को आयोग स्तर से साधारण डाक से प्रेषित किया जाता रहा है। इस प्रक्रिया में कई खामियां सामने आई हैं.

आयोग में सुनवायी के दौरान अधिकांश लोक सूचना अधिकारियों तथा प्रथम अपीलीय अधिकारियों द्वारा प्रायः अन्तरिम आदेशों की प्रतियां समय से प्राप्त न होने की बात कही जाती है, तथा इस कारण सम्बन्धित वादों को समयान्तर्गत निस्तारित किये जाने में भी अवरोध उत्पन्न होता है.

आयोग की आन्तरिक बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार निकट भविष्य में सभी अन्तरिम आदेशों को सम्बन्धित पक्षों द्वारा आयोग की वैबसाईट पर देखा जा सकेगा तथा उनके प्रिन्टआउट भी लिये जा सकेंगे.

अन्तरिम आदेशों को ऑननाईन देखने की उपरोक्त प्रस्तावित व्यवस्था मा. सुप्रीम कोर्ट तथा मा. हाई कोर्टो के द्वारा स्थापित डेली ऑर्डर्स को ऑनलाईन देखने की व्यवस्था के अनुरूप ही होगी. अन्तरिम आदेशों को देखने अथवा उनके प्रिंटआउट निकालने के लिए उपयोगकर्ता को आयोग की वैबसाईट में दिये गये लिंक पर क्लिक कर सम्बन्धित अपील/शिकायत संख्या, अपीलकर्ता/शिकायतकर्ता का नाम, लोक सूचना अधिकारी का नाम, मुख्य सूचना आयुक्त/राज्य सूचना आयुक्त की बेंच का नाम अथवा अन्तरिम आदेश की तिथि को अंकित करना होगा.

आयोग द्वारा उपरोक्त व्यवस्था को लागू करने से एक ओर जहां अपीलकर्ताओं/ शिकायतकर्ताओं एवं लोक सूचना अधिकारियों को अन्तरिम आदेशों के सम्बन्ध में समय से जानकारी प्राप्त हो सकेगी, वहीं दूसरी ओर अन्तरिम आदेशों की प्रतियों को डाक द्वारा प्रेषित करने में होने वाले अत्यधिक व्यय को भी नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त होगी.

नई व्यवस्था लागू करने के लिए आयोग के सॉफ्टवेयर में संगत परिवर्तन किए जाने तक पुरानी व्यवस्था ही जारी रहेगी । ◆◆◆

सूचनाधिकार

- यह एक विडंबना है कि देश की सत्तर प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है लेकिन इन क्षेत्रों में सूचना का अधिकार अधिनियम का बहुत कम उपयोग हो रहा है। उत्तराखण्ड में ग्रामीण क्षेत्रों के आवेदकों का प्रतिशत लगभग 37.14 है। हमारे राज्य में मात्र 7.20 प्रतिशत महिलायें ही आर.टी.आई. का इस्तेमाल करती हैं।

- देश में करीब 61 प्रतिशत लोगों ने ही सूचना कानून के बारे में सुना है। इसमें भी 67 प्रतिशत पुरुष व 54 प्रतिशत महिलाएं हैं। उम्र के हिसाब से देखें तो 18 से 30 वर्ष के करीब 68 प्रतिशत, 30 से 50 साल के 57 प्रतिशत, व 50 से ऊपर की उम्र के केवल 48 प्रतिशत लोगों ने ही सूचना कानून के बारे में सुना है। 35 प्रतिशत लोगों ने अखबारों से, 22 प्रतिशत ने किताबों से, 14 प्रतिशत ने टेलिविजन, 13 प्रतिशत ने परिजनों या मित्रों से, 8 प्रतिशत ने जनसभाओं से, 4 प्रतिशत लोगों ने सोशल मीडिया, तो इतने ही लोगों ने एनजीओ से सूचना कानून के बारे में जाना। दुखद बात यह है कि सूचना कानून के बारे में जागरुकता फैलाने में सरकारों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रही है।

- सूचनाधिकार की अर्जियों के विश्लेषण से पता चलता है कि कम से कम 16 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो किसी व्यक्तिगत शिकायत पर कार्रवाई करवाने के लिए सूचनाधिकार का प्रयोग करते हैं और इसमें कामयाबी भी पाते हैं।

- करीब 70 प्रतिशत सूचना आवेदक ऐसी सूचनाएं मांगने के लिए मजबूर हैं जो कि विभागों को खुद ही सार्वजनिक कर देनी चाहिए। करीब 49 प्रतिशत आवेदकों को ऐसी सूचनाओं के लिए सूचनाधिकार की अर्जी लगानी पड़ रही है जो कि सूचना कानून की धारा–4 के तहत आम की जानी चाहिए। 18 प्रतिशत आवेदकों को ऐसी सूचनाओं के लिए सूचनाधिकार का प्रयोग करना पड़ रहा है जो कि सामान्य तौर पर विभागों को खुद ही मुहैया करानी चाहिए।

- देश के 65 प्रतिशत लोक प्राधिकारियों के कार्यालयों में जरूरी सूचनाओं के सूचना पट्ट ही नहीं लगे हैं। 59 प्रतिशत लोक प्राधिकारियों के कार्यालयों में उनका ऐसा कोई प्रकाशन ही उपलब्ध नहीं है, जिसमें विभाग के बारे में जानकारी हो।

- करीब 45 प्रतिशत लोक सूचना अधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम का कोई प्रशिक्षण ही नहीं मिला है। इससे भी बड़ी संख्या उन अफसरों की है जो कि लोक सूचना अधिकारी तो नहीं हैं लेकिन जिन्हें लोक सूचना अधिकारियों को सूचनाएं मुहैया करानी होती हैं या जो प्रथम अपील अधिकारी के तौर पर काम करते हैं। ऐसे ज्यादातर अफसरों को सूचना कानून लागू करने का न तो प्रशिक्षण दिया गया न ही उसके लिए प्रेरित ही किया जाता है।

- ब्रिटेन में सूचना आयोगों के आदेश बाध्यकारी हैं। सूचना आयोग वहां अपने आदेश के अनुपालन के लिए अनुपालन नोटिस भी देते हैं। अगर विभाग उनका पालन नहीं करते तो उसे अदालत की अवमानना की तरह माना जाता है और दंडित किया जाता है।

- 77 प्रतिशत लोग मानते हैं कि सूचना अधिकार के तहत मिलने वाली सरकारी सूचनाएं बहुत तरीकों से फायदेमंद होती हैं जबकि 58 प्रतिशत लोग मानते हैं कि सूचना अधिकार के तहत सरकार से मिलने वाली सूचनाएं उनकी निजी समस्याओं के निदान में सहायक होती हैं। जबकि 26 प्रतिशत मानते हैं कि इससे सामुदायिक व राष्ट्रीय समस्याओं के निदान में मदद मिलती है। 24 प्रतिशत मानते हैं कि सूचना कानून भ्रष्टाचार की समस्या से निपटने व क्षमता विकास में सहायक है।

(साभार : आरटीआई असेसमेंट एंड एडवोकेसी ग्रुप व साम्य–सेंटर फार इक्विटी स्टडीज की रिपोर्ट पीपुल्स मॉनीटरिंग ऑफ आरटीआई रिजीम इन इंडिया–2011–13)

◆◆◆

उत्तराखण्ड में सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रयोग

प्रदेश के लोक सूचना अधिकारियों को प्राप्त सूचना आवेदन पत्र :

– 465538

प्रदेश के अपीलीय अधिकारियों को प्राप्त प्रथम अपीलें :

–63883

आयोग को प्राप्त कुल द्वितीय अपील :

–17841

आयोग को प्राप्त कुल शिकायतें :

–10186

ग्रामीण क्षेत्रों से अधिनियम के प्रयोग का प्रतिशत :

–37.5

महिलाओं द्वारा अधिनियम के प्रयोग का प्रतिशत :

–7.21

प्रथम पांच जनपद जहां से सबसे अधिक द्वितीय अपीले प्राप्त हुई :

– देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी

प्रथम पांच विभाग जिनकी अधिकतम द्वितीय अपीले आयोग को प्राप्त हुई :

–विद्यालयी शिक्षा, राजस्व, शहरी विकास, आवास, ऊर्जा

(सभी आंकड़े नवम्बर, 2005 से अप्रैल , 2015 तक)

मुझे आरटीआई से बड़ा लाभ हुआ

जिन बहुत सारी समस्याओं को हल करने के लिए पहले दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे या अदालत के दरवाजे पर जाना पड़ता था आज वह महज 10 रुपये की अर्जी के जरिए हल हो जा रही हैं।

मैं वन निगम से तीन साल पहले सेवानिवृत्त हो गया था लेकिन मुझे नकदीकरण के करीब दो लाख रुपये का भुगतान नहीं हो पाया था। विभागीय अधिकारियों ने तो इस मामले में अदालत में जाने की सलाह तक दे डाली थी लेकिन मैने सूचनाधिकार का इस्तेमाल कर नकदीकरण के भुगतान के बारे में जब सूचनाएं मांगी तो पहले तो सूचनाएं नहीं दी गई। निगम ने मुझ पर कार्यभार हस्तांतरित न करने व वसूली के एक मामले का बहाना बनाया। लेकिन जब मामला सूचना आयोग पहुंचा तो दूध का दूध का दूध पानी का पानी हो गया। मुझ पर लगाए गए आरोप गलत साबित हो गए और निगम ने अब मेरे नकदीकरण के एक लाख 16 हजार रुपये का भुगतान कर दिया है और शेष 84 हजार रुपये का भुगतान जल्द करने का भरोसा दिया है।

अक्सर यह आरोप लगता है कि सूचनाधिकार के जरिए ब्लैकमेलिंग हो रही है लेकिन दरअसल ब्लैकमेल तो वही हो सकते हैं जिन्होंने कुछ गड़बड़ी की होगी। नहीं तो अगर कोई सूचनायें मागें और वे सूचनाएं अत्यंत निजी न हों तो उन्हें मुहैया कराने में किसी को क्या परेशानी हो सकती है।

मैं खुद सरकारी कर्मचारी रहा हूं। मैं भी इस कानून को शक की नजर से देखता था। सारा माहौल ही ऐसा बना हुआ था। अब मैं मानता हूं कि मैं गलत था। सरकारी अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए भी यह कानून बड़े काम का है।

सोहन लाल भामरी

कुछ उदाहरण ये भी...

33/11 केवी सब स्टेशन मोरी, जनपद उत्तरकाशी में उपनल के माध्यम से कार्योजित चार टीजी कार्मिकों को करीब दो साल से मानदेय नहीं मिल रहा था जबकि उत्तरकाशी विद्युत वितरण खंड के अन्य उपखण्डों में उनके बाद लगे छह कर्मचायिों को नियमित रूप से मानदेय दिया जा रहा था। महीनों से मानदेय न मिलने से परेशान होकर कंडियाल गांव, पुरोला निवासी प्रवीन सिंह कंडियाल ने यूपीसीएल मुख्यालय, मानव संसाधन विभाग के लोक सूचनाधिकारी से इस बाबत सूचनाएं मांग लीं। उन्होंने सूचनाएं न मिलने पर अधीक्षण अभियंता, विद्युत वितरण मण्डल ग्रामीण से विभागीय अपील की लेकिन अपील का निस्तारण ही नहीं किया गया तो खिन्न होकर उन्होंने आयोग में दस्तक दी । कई सुनवाइयों के बाद यूपीसीएल के निदेशक, परिचालन ने बताया कि अपीलार्थी एवं अन्य चारों कार्मिकों दिलीप सिंह, प्रवीन सिंह, चन्द्रपाल सिंह एवं आनन्द किशोर बिजल्वाण के भुगतान के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के लिए मुख्यालय ने अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उपाकालि, उत्तरकाशी को अधिकृत कर दिया गया है. साथ ही एक जनवरी 2013 से नियुक्त अपीलार्थी सहित चार कर्मियों को भुगतान करने के निर्देश दे दिए गए हैं।

अल्मोड़ा जिले की पट्टी तिखून के ग्राम विसरा निवासी शेर सिंह ने दिसंबर 2013 में अल्मोड़ा तहसील के ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी से एक भूमि की बिक्री के दौरान जमीन पर मौजूद काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या के बारे में सूचनाएं मांगीं थीं। उन्हें राजस्व निरीक्षक हवालबाग, तहसील सदर के माध्यम से जो सूचनाएं मिलीं उससे वे संतुष्ट नहीं हुए। प्रथम अपील के निस्तारण से असंतुष्ट होकर उन्होंने राज्य सूचना आयोग में अपील कर दी। सुनवाई के दौरान उन्होंने आयोग को बताया कि संबंधित भूमि पर 40 सूखे एवं 120 हरे वृक्ष हैं जबकि क्रेता और विक्रेता कुल वृक्षों की संख्या 30 दर्शाकर सरकार को राजस्व की क्षति पहुंचा रहे है। अब जब सूचनाएं दिलाने के लिए राजस्व निरीक्षक, हवालबाग ने मौके पर मौजूद वृक्षों की शिकायतकर्ता की उपस्थिति में गणना की तो पाया कि शिकायतकर्ता सही थे। उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट के माध्यम से आयोग को बताया कि उक्त क्रयशुदा भूमि में मौके पर कुल 130 वृक्ष मिले। अब राजस्व निरीक्षक, हवालबाग की उक्त आख्या के आधार पर बैनामें में 89 वृक्ष के अतिरिक्त अवशेष वृक्षों पर स्टाम्प शुल्क की वसूली के लिए प्रकरण को जिला अधिकारी अल्मोडा, को भेज दिया गया।

घूस देकर नहीं आरटीआई के जरिए करवाइए काम

हरिशंकर परसाई की व्यंग्य कथा 'भोलाराम का जीव' के नायक भोलाराम के जमाने में अगर सूचना का अधिकार कानून आ गया होता, तो शायद उसकी आत्मा को अपनी पेंशन के लिए फाइलों में न भटकना पड़ता। आफिस के बाबू, शायद उसकी जिंदगी के दौरान ही, उसकी पेंशन का काम कर देते, वह भी रिश्वत के बिना।

आम धारणा है कि सरकारी काम जल्द कराना हो तो घूस उसमें ईधन का काम करता है, मगर सूचना का अधिकार की अर्जी भी घूस से कम ताकतवर नहीं। वह भी अपने देश में सरकारी फाइल को आगे खिसकवाने में घूस के बराबर ही जोर का धक्का लगाती है। और वह भी महज 10 रुपये में। अमेरिका के येल विश्वविद्यालय के पीएचडी शोधार्थी लियोनिद पीसाखिन के अध्ययन 'डज इनफार्मेशन डिस्क्लोजर रिड्यूस करप्शन, इविडेंस फ्रॉम फील्ड एक्पेरिमेंट्स इन इंडिया', से ये रोचक तथ्य उजागर हुए हैं।

अध्ययन में नयी दिल्ली में एक दिलचस्प प्रयोग किया गया। शहरी गरीब व शहरी मध्यमवर्गीय जनता के तीन समूहों को मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने व मतदाता पहचान पत्र बनवाने के लिए अलग–अलग अर्जी दिलवाई गई। एक समूह ने सामान्य प्रक्रिया अपनाई, दूसरे ने दलालों के सहारे अधिकारियों की जेबें भी गर्म कीं। तीसरे समूह ने अर्जी के 20 दिन बाद स्थिति जानने के लिए सूचना का अधिकार की अर्जी डाल दी। अब नतीजे देखिए। मतदाता सूची में घूस देने वाले शहरी गरीबों के नाम 140 दिन और शहरी मध्यम वर्ग के लोगों के नाम 123 दिन में आ गए जबकि सूचना का अधिकार अर्जी देने वाले शहरी गरीबों के नाम 164 दिन व शहरी मध्यम वर्गीय आवेदकों के नाम 150 दिन में आ गए। दिलचस्प बात तो यह है कि जो अर्जियां सामान्य प्रक्रिया से दी गई थीं, अध्ययन खत्म होने तक उनके नाम मतदाता सूची में नहीं आए थे। अध्ययन के मुताबिक अगर सूचना के अधिकार की अर्जियां मतदाता सूची के आवेदन के दिन ही डाल दी जातीं तो इन अर्जियों पर 20 दिन कम समय लगता यानी शहरी गरीबों को 144 दिन में ही अपना मतदाता पहचान पत्र मिल जाता। ऐसे में घूस वाली अर्जी और सूचना अधिकार वाली अर्जी में महज 4 दिन का ही अंतर होता। यानी दोनों स्थितियों में लगभग बराबर समय में काम हो जाता। **(दैनिक जागरण से साभार)**

'सूचना अधिकार'

सुप्रीम कोर्ट ने ''निजता के अधिकार'' को मूल–अधिकारों के समान माना है। सुप्रीम कोर्ट ने ही ''सूचना के अधिकार'' के बारे में भी स्पष्ट रूप से कहा है कि यह अधिकार संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों से शक्ति ग्रहण करता है। सूचना का अधिकार अधिनियम हमारी जनता के इन दोनों पवित्र अधिकारों के बीच तालमेल बैठाने का प्रयास करता है। जहाँ एक ओर इसमें सूचना प्रदान करके नागरिकों को शक्ति–संपन्न बनाने की जरूरत पर जोर दिया गया है वहीं धारा 8(1)(जे) में निजता की रक्षा के लिए ''व्यक्तिगत सूचनाओं'' को निर्बाध रूप से देने से भी मना किया है।

''निजता के अधिकार'' को अतिक्रमित किए बगैर ''सूचना का अधिकार'' कैसे प्रभावी ढ़ंग से लागू किया जा सकता है, इस प्रश्न को विभिन्न अदालतों ने बार–बार संबोधित किया है।

दस वर्ष पूर्व सूचना अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद से ही ' व्यक्तिगत सूचनाओं ' का प्रश्न बहस के केन्द्र में रहा है। सरकार के पास धारित किन सूचनाओं को व्यक्तिगत सूचना माना जाए ? किन अभिलेखों को ' तृतीय पक्ष ' के अभिलेख समझा जाए ? कर्मचारियों की 'एसीआर' तथा 'व्यक्तिगत पत्रावली' के अलावा भी कई सूचनाएं ऐसी हैं जो आवेदकों ने मांगी और यह बहस कोर्टों तक पहुंच गई कि इन्हें दिया जा सकता है या नहीं।

ये प्रश्न जितने जरूरी हैं उतने ही जटिल भी। सभी सूचना आयोग तथा कोर्ट ऐसे सभी मामलों को गुणदोश के आधार पर निर्णीत करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत सूचनाओं का फलक इतना विस्तारित है कि एक निर्णय हर परिस्थिति पर ज्यों का त्यों लागू हो, यह भी जरूरी नहीं है।

फिर भी, कुछ बिंदु हैं जिन्हें यदि सभी लोक सूचना अधिकारी अपने ध्यान में रखें तो उन्हें ऐसे प्रकरणों के निस्तारण में आसानी होगी। सूचना आयोग के विधि अधिकारी **त्रेपन सिंह बिष्ट** *ने ऐसे कुछ बिंदुओं को लोक सूचना अधिकारियों की मदद के लिए संयोजित किया है। साथ ही इससे संबंधित कोर्टों के कुछ फैसले भी संक्षिप्त रूप में यहां दिए जा रहे हैं।*

भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को दिए गये है वे असीमित (absolute) नही है किसी भी देश में नागरिकों के मौलिक अधिकार असीमित नही हो सकते हैं। नागरिकों को ऐसे अधिकार नहीं प्रदान किए जा सकते जो समस्त समाज के लिए अहितकर हो। यदि नागरिकों के अधिकार पर समाज अंकुश न लगाये तो उसका परिणाम विनाशकारी होगा। स्वतन्त्रता का आस्तित्व तब ही सम्भव है, जब वह विधि द्वारा संयमित हो। अपने अधिकार के प्रयोग से हम दूसरे के अधिकार पर आधात नहीं पहुँचा सकते। इसी उद्देश्य से मूल अधिकारों पर भी युक्ति युक्त निर्बन्धन लगाये गये हैं तथा लगाये जा सकते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम में भी कई ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो नागरिक के सूचना पाने के अधिकार को एक हद तक सीमित करती हैं। देश की सुरक्षा व विदेशी संबंधों को प्रभावित कर सकने वाली सूचनाओं के साथ–साथ 'व्यक्तिगत सूचनाओं' को भी निर्बाध रूप से देने से मना किया गया है।

मेनका गांधी बनाम भारत संघ (ए.आई. आर. 1978 एस. सी. 597) के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 को नया आयाम दिया है तथा उसके क्षेत्र को अत्यन्त विषद् बना दिया है। इसमें कोर्ट ने यह कहा है कि प्राण का अर्थ केवल भौतिक अस्तित्व तक सीमित नही है बल्कि इसमें मानव गरिमा बनाये रखने तथा जीने का अधिकार भी है। इसी अनुच्छेद के अन्तर्गत मा0 सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न निर्णयों के माध्यम से Right of privacy को भी मान्यता दी है। ऐसा कोई कार्य जिससे नागरिक की निजता (privacy) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है उसे नहीं किया जा सकता है।

'व्यक्तिगत सूचनाएं' क्या हैं इन्हें किस तरह से परिभाषित किया जाए, इन्हें किसी आवेदक को प्रदान करना हो तो किन–किन बातों का ध्यान रखा जाए यह गंभीर विश्लेषण का विषय है। सबसे पहले तो हम यह जानें कि 'तृतीय–पक्ष' क्या है। आमतौर पर सूचना के किसी भी आवेदन में तीन पक्ष हैं :

प्रथम पक्षकार – आवेदन या अपील पेश करने वाला व्यक्ति,

द्वितीय पक्षकार – आवेदन पर कार्यवाही करने के लिए उत्तरदायी लोक सूचना अधिकारी व उनका विभाग,

तृतीय पक्षकार – अपीलकर्ता या लोक सूचना अधिकारी व उनके विभाग से अलग कोई भी व्यक्ति/विभाग अथवा संस्था, जिसके बारे में सूचना मांगी गई है।

अर्थात यदि किसी लोक सूचना अधिकारी से किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य विभाग के बारे में ऐसी सूचना मांगी गई है जो उनके विभाग के पास धारित है तो वह 'तृतीय–पक्ष' की सूचना मानी जाएगी। यदि ऐसा है तो लोक सूचना अधिकारी को धारा–11 की व्यवस्था का पालन करना होगा। धारा–11 की पूरी प्रक्रिया अलग से इसी अंक में दी जा रही है, उसे जरूर पढ़ लें।
यदि वह 'तृतीय पक्ष' कोई व्यक्ति हुआ तो यह ध्यान रखना होगा कि कहीं कोई ऐसी 'व्यक्तिगत सूचना' तो नहीं मांगी जा रही है जो धारा–8(1)(जे) के तहत प्रतिबंधित हो। प्रायः यह देखा गया है कि अधिकांश नागरिक सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को चरित्र पंजिका/सेवा रिकार्ड/आयकर रिर्टन व उनके व उनके पारिवारिक सदस्यों की सम्पत्ति, वेतन, शैक्षणिक प्रमाण पत्र/जाति प्रमाण पत्र/मूल निवास प्रमाण पत्र/अधिवास प्रमाण पत्र आदि मांगे जाते हैं जिनका लोक क्रियाकलाप (Public Activity) से कोई सम्बन्ध नहीं रहता है। इस सम्बन्ध में समय–समय पर विभिन्न माननीय हाई कोर्टो व मा. सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय दिये गये हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा उपरोक्त के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण निर्णय दिये है उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं :

बनाम 'निजता'

सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्णय :

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि परीक्षार्थी अपनी उत्तरपुस्तिका का निरीक्षण/छाया प्रति मांग सकता है किन्तु जिस जांचकर्ता ने उसकी उत्तर पुस्तिका की जांच की है, उसके नाम व पते की जानकारी नहीं मांग सकता है। यह भी व्यवस्था दी गई है कि परीक्षा संचालित करने वाली संस्था द्वारा जिस अवधि तक जांच की गई उत्तर पुस्तिका को रखने का प्रविधान किया गया है वह उसे तय अवधि के बाद विनिष्ट कर सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी हैं कि धारा 8 (1) (छ) के अन्तर्गत परीक्षार्थी को उसकी जांच की गई उत्तरपुस्तिका के उस भाग को छोड़कर जिसमें उत्तरपुस्तिका की जांच करने वाले सम्बन्धित व्यक्तियों के हस्ताक्षर व नाम आदि को छोड़कर शेष भाग दिया जायेगा तथा इण्टरव्यू लेने वाले बोर्ड के सदस्यों के नाम भी नहीं बताये जायेंगें। (Civil Appeal no. 6454 of 2011, Arising out of SLP {c} No. 7526/2009, Central Board of Secondary Education and others Verses Aditya Bandopadhyay and others, Decided on August 9, 2011)

गिरीश रामचन्द्र देशपाण्डेय बनाम केन्द्रीय सूचना आयोग आदि में व्यवस्था दी गई है कि कोई आवेदक किसी व्यक्ति के मासिक वेतन, वेतन में की जानी वाली कटोतियो का विवरण, विभागीय कार्यवाही में दिया गया कारण बताओं नोटिस आदि, सम्पति व देनदारियों का विवरण, निवेश आदि का विवरण, पत्र तथा अचल सम्पति का विवरण, विभागीय जांच कार्यवाही का विवरण आदि को सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(जे) में व्यक्तिगत सूचना माना है और ऐसी सूचना तब ही देय होगी जबकि संबंधित व्यक्ति के हित से अधिक व्यापक लोकहित सूचना को देने में हो। (Special Leave Petition (civil) No. 27734 of 2012, Girish Ramchandra Desponde Verses Central Information Commission and others, Decided on October 3, 2012)

आर0 के0 जैन के मामले में जिसमें एक लोक सेवक की वार्षिक चरित्र पंजिका की प्रविष्टियों आदि की मांग की गयी है, को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने धारा 8(1)(जे) के अन्तर्गत प्रतिबंधित माना है। अर्थात जिस व्यक्ति की चरित्र पंजिका मांगी गई है उसके अलावा किसी और को उनकी चरित्र पंजिका नहीं दी जाएगी। यदि लोक सूचना अधिकारी ये समझे कि चरित्र पंजिका की प्रविष्टियां व्यापक लोकहित में दी जानी चाहिए तो उन्हें सूचना देने से पहले धारा–11 की व्यवस्थाओं का पालन करना होगा जिसमें प्रथम तथा द्वितीय अपील का अधिकार उस व्यक्ति को होगा जिनकी चरित्र पंजिका मांगी गई है। (Civil Appeal No. of 2013 ,Arising out of SLP{c} No. 22609 of 2012, R.K. Jain Verses Union of India and others, Decided on April 16, 2013)

''तृतीय पक्ष'' तथा ''व्यक्तिगत सूचनाओं'' का विश्लेषण यहीं पर, इन्हीं तथ्यों के आलोक में सम्पन्न नहीं होता। इस बहस के कई आयाम और भी हैं। इस पत्रिका के अगले अंकों में इससे जुड़ी सामग्री प्रकाशित होती रहेगी।

> "व्यक्ति की निजता तो स्वीकार्य है, संस्था या विभाग की नहीं। जामिया विश्वविद्यायल बनाम इकरामुद्दीन के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सरकारी विभाग का किसी व्यक्ति से हुआ करार 'व्यक्तिगत सूचना' नही माना जायेगा। अगर हर लोक प्राधिकारी उससे जुड़ी सूचनाओं को व्यक्तिगत सूचनाएं मानने का दावा करेगा और सार्वजनिक नहीं करेगा, तो सूचना कानून का उद्देश्य ही पराजित हो जाएगा।"

अदालतों के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय :

1. Civil Appeal no. 6454 of 2011 [Arising out of SLP {c} No. 7526/2009] Central Board of Secondary Education and others - Appellants
Verses
Aditya Bandopadhyay and others- Respondents
Decided on August 9, 2011

2. Civil Appeal No. 9052 of 2012 [Arising out of SLP{c} No. 20217 of 2011] Bihar Public Service Commission - Appellant
Verses
Saiyed Hussain Abbas Rizwi and others.- Respondents
Decided on December 13, 2012

3. Special Leave Petition (civil) No. 27734 of 2012 Girish Ramchandra Desponde- Petitioner
Verses
Central Information Commission and others - Respondents
Decided on October 3, 2012

4. Civil Appeal No. of 2013 [Arising out of SLP{c} No. 22609 of 2012] R.K. Jain - Appellant
Verses
Union of India and others- Respondents
Decided on April 16, 2013

तृतीय पक्ष की सूचना देने की प्रक्रिया

यदि कोई आवेदक ऐसी सूचना मांगता है जो किसी तीसरी पार्टी से संबंध रखती है अथवा उसके द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है और तीसरी पार्टी ने ऐसी सूचना को गोपनीय माना है, तो राज्य लोक सूचना अधिकारी से अपेक्षित है कि वह सूचना को प्रकट करने अथवा न करने पर विचार करे। ऐसे मामलों में मार्गदर्शी सिद्धांत यह होना चाहिए कि यदि प्रकटन से तीसरी पार्टी को सम्भावित हानि की अपेक्षा बृहत्तर लोक हित सधता हो तो प्रकटन की स्वीकृति दे दी जाए, बशर्ते कि सूचना कानून द्वारा संरक्षित व्यावसायिक अथवा वाणिज्यिक रहस्यों से संबन्धित न हो। तथापि, ऐसी सूचना के प्रकटन से पहले नीचे दी गई प्रक्रिया को अपनाया जाए। यह ध्यान देने योग्य बात है कि इस प्रक्रिया को केवल तभी अपनाया जाना है जब तीसरी पार्टी ने सूचना को गोपनीय माना हो।

यदि राज्य लोक सूचना अधिकारी सूचना को प्रकट करना उचित समझता है तो उसे आवेदन प्राप्ति की तारीख के 5 दिन के भीतर, तीसरी पार्टी को एक लिखित सूचना देनी चाहिए कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदक द्वारा सूचना मांगी गई है और कि वह सूचना केा प्रकट करना चाहता है। उसे तृतीय पक्ष से निवेदन करना चाहिए कि तृतीय पक्ष लिखित अथवा मौखिक रूप से सूचना को प्रकटन करने या न करने के संबंध में अपना पक्ष रखे। तृतीय पक्ष को प्रस्तावित प्रकटन, के विरूद्ध प्रतिवेदन करने के लिए दस दिन का समय दिया जाना चाहिए।

राज्य लोक सूचना अधिकारी को चाहिए कि वह तृतीय पक्ष के निवेदन को ध्यान में रखते हुए प्रकटन के संबंध में निर्णय ले। ऐसा निर्णय सूचना के अनुरोध की प्राप्ति से चालीस दिन के भीतर ले लिया जाना चाहिए। निर्णय लिए जाने के पश्चात, लोक सूचना अधिकारी को लिखित में तृतीय पक्ष को अपने निर्णय की सूचना देनी चाहिए। तृतीय पक्ष को सूचना देते समय यह भी बताना चाहिए कि तृतीय पक्ष को धारा 19 के अधीन अपील करने का हक है।

तृतीय पक्ष लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिए गए निर्णय की प्राप्ति के तीस दिन के अन्दर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है। यदि तृतीय पक्ष प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय से संतुष्ट न हों, तो वह राज्य सूचना आयुक्त के समक्ष द्वितीय अपील कर सकता है।

यदि तृतीय पक्ष द्वारा लोक सूचना अधिकारी के सूचना प्रकटन करने के निर्णय के विरूद्ध कोई अपील दायर की जाती है, तो ऐसी सूचना को तब तक प्रकट नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि अपील पर निर्णय न ले लिया जाए।

पृष्ठ 1 से आगे...

को तात्कालिक लाभ भी प्राप्त हुए हैं। उत्तराखण्ड में इस अधिनियम के प्रयोग से अनेक नागरिकों की समस्याओं का समाधान हुआ है। आयोग के संज्ञान में आए ऐसे सभी प्रकरणों का इस न्यूज लैटर में उपयोग संभव नहीं है। फिर भी, पृष्ठ पांच पर ऐसे कुछ प्रसंग प्रकाशित किए जा रहे हैं – इस उम्मीद के साथ कि इनसे प्रेरित होकर राज्य के नागरिक अपने को प्राप्त सूचना–अधिकार का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करेंगे तथा स्वयं लाभान्वित होने के साथ–साथ लोक सेवकों को भी चाक चौबंद रहने के लिए प्रेरित करेंगे।

जाहिर है कि नागरिकों की समस्याओं का समाधान संबंधित लोक सेवकों के सक्रिय सहयोग के बगैर संभव नहीं था। सूचना अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन से जुड़े वे सभी लोक सेवक जिन्होंने ऐसे प्रकरणों में बढ़ चढ़कर भागीदारी की, साधुवाद के पात्र हैं।

राज्य में सूचना अधिकार से जुड़े लोक सेवकों से सीधे संवाद के इस क्रम में उस अदृश्य दीवार का जिक्र भी कर लेना चाहिए जो लोक सेवकों और आयोग के बीच में खड़ी कर दी गई है। हाल के वर्षों में ब्लाक तथा जिला स्तरीय बैठकों में आयोग ने बार–बार इस बात को जोर देकर कहा है कि आयोग लोक सेवकों का शत्रु नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम राज्य में कारगर तरीके से लागू हो, यह हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। नागरिकों के विधि–प्रदत्त अधिकार की रक्षा तथा उनकी समस्याओं का निदान हम सब पर आच्छादित वैधानिक कर्तव्य भी है।

यह सही है कि कुछ लोग इस पवित्र कानून का दुरूपयोग करके लोक सेवकों पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। किंतु विश्वास मानिए ऐसे लोगों की संख्या इतनी नहीं है कि इससे नागरिकों को प्राप्त इस अधिकार को ही संदेह के घेरे में ले आया जाए। ऐसे लोग चिन्हित हो रहें हैं तथा उनके विरूद्ध कार्रवाई भी हो रही है। ऐसे ही एक प्रकरण में आयोग ने इसी प्रकार के एक आवेदक के विरूद्ध 'गुंडा एक्ट' के तहत कार्रवाई की सिफारिश की तथा माननीय उत्तराखण्ड हाई कोर्ट ने भी इस सिफारिश को उचित करार दिया। यह दूसरी बात है कि अब तक न तो आयोग की सिफारिशों पर अमल हो पाया है ना ही मा. हाईकोर्ट के आदेश पर। अब यह प्रकरण मा. हाईकोर्ट की खंडपीठ के समक्ष लंबित है।

इस प्रसंग का जिक्र लोक सेवकों को यह बताने के लिए किया जा रहा है कि सूचना अधिकार के दुरूपयोग के मामलों में आयोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। सूचना अधिकार अधिनियम के सफल क्रियान्वयन की राह में आने वाले अवरोधों को मिलजुलकर ही दूर किया जा सकता है। ये अवरोध बाहर ही नहीं प्रशासन के भीतर भी मौजूद हैं, इस तथ्य को भी स्वीकार करना चाहिए। शासन/प्रशासन में मौजूद ये तत्व आयोग के विरूद्ध विष–वमन करके लोक सेवकों को भड़काते हैं लेकिन उनका निशाना सिर्फ सूचना आयोग नहीं है, उनका उद्देश्य सूचना अधिकार को कमजोर करना है। शासन / प्रशासन में मौजूद ऐसे किसी एक व्यक्ति या उंगलियों की पोरों पर गिने जा सकने वाले ऐसे व्यक्तियों की व्यक्तिगत कुंठाओं अथवा पदजनित अहंकार को हमारा आपसी सहयोग ध्वस्त करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए।

खुशी की बात यह है कि ऐसे लोगों की संख्या नगण्य है। लोक सेवकों का एक बहुत बड़ा तबका सूचना के अधिकार को मजबूत करने के पक्ष में है। वे जानते हैं कि लोक सेवक के रूप में तथा एक नागरिक के रूप में यह अधिनियम उन्हें शक्ति प्रदान करता है। आयोग का मानना है कि सूचना के अधिकार को राज्य में भली प्रकार से लागू करने में लोक सेवकों की सक्रिय भागीदारी, प्रदेश के नागरिकों के विधि–प्रदत्त अधिकार की रक्षा की पहली शर्त है। इस उपक्रम में आयोग उनसे हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तैयार है। लोक सेवकों की सक्रियता तथा आयोग की सजगता से हमारे प्रदेश ने सूचना का अधिकार के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण उपलब्धियॉं हासिल की हैं। देश भर में इसकी चर्चा है। लेकिन यह तो शुरूआत है। एक लम्बा रास्ता तय करना अभी बाकी है। ◆◆◆

आयोग की नई पहल

आयोग उस स्थिति पर पहुंचना चाहता है जब लोक सूचना अधिकारियों, अपीलीय अधिकारियों तथा समतुल्य लोक सूचना अधिकारियों को आयोग में सुनवाई के लिए उपस्थित होने की जरूरत न पड़े। यह तभी संभव हो पाएगा जब आयोग के समक्ष प्रस्तुत आख्या में वे सभी बिन्दु भली प्रकार से समाहित किए गए हों, जिनकी सुनवाई के दौरान जरूरत पड़ती है। यदि सुनवाई के दौरान उठने वाले प्रश्नों के जवाब आख्या में साक्ष्यों सहित मौजूद हों तो फिर आयोग को लोक सूचना अधिकारी या अपीलीय अधिकारी को बुलाने की जरूरत भला क्यों पड़ेगी ?

इस उद्देश्य को लेकर लोक सूचना अधिकारियों/अपीलीय अधिकारियों के लिए आख्याओं में शामिल करने हेतु बिन्दुओं का एक प्रारूप यहां दिया जा रहा है। कुछ समय बाद यह प्रारूप नोटिस के साथ भी मिलने लगेगा। हमारा मानना है कि यदि यह व्यवस्था सुचारू रूप से ईमानदारी के साथ क्रियान्वित हो गई तो इससे द्वितीय अपीलों के निपटान में सहायता मिलेगी तथा सूचना अधिकार से जुड़े लोक सेवकों की अनुपस्थिति में भी सुनवाई की जा सकेगी। इस व्यवस्था को और चुस्त–दुरूस्त करने के लिए यदि लोक–सेवक अपनी राय देना चाहें तो उनका स्वागत है।

लोक सूचना अधिकारियों के लिए प्रारूप

1.	सूचना के लिए अनुरोधकर्ता का अनुरोध पत्र उनके कार्यालय को प्राप्त होने की दिनांक
2.	लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर धारित पंजिका का क्रमांक जिस स्थान पर पंजीकृत किया गया है
3.	मांगी गयी सूचनाओं के कुल बिन्दुओं की संख्या
4.	यदि मांगी गयी सूचना से संबंधित अनुरोध पत्र अंतरित होकर प्राप्त हुआ है तब – (क) अंतरितकर्ता का नाम, पदनाम, पूर्ण पता (ख) अंतरित बिन्दु (ग) पत्रांक व दिनांक जिसके माध्यम से अनुरोध पत्र अंतरित किया गया है
5.	यदि अनुरोध पत्र के माध्यम से मांगी गयी सूचना किसी अन्य लोक सूचना अधिकारी से संबंधित है तब – (क) संबंधित बिन्दु जिसे अंतरित किया गया है (ख) जिस लोक सूचना अधिकारी को अंतरित किया गया, उसका नाम, पदनाम, व पूर्ण पता, (ग) जिस पत्रांक व दिनांक के माध्यम से अनुरोध पत्र अंतरित किया गया (घ) पत्र जिस माध्यम से प्रेषित किया गया तथा डाक/दस्ती/अन्य माध्यम से प्रेषित करने की दिनांक
6.	यदि मांगी गयी सूचना हेतु कोई अतिरिक्त शुल्क मांगा गया है तब– (क) अतिरिक्त शुल्क की मांग जिस पत्र संख्या व दिनांक के माध्यम से की गई (ख) कुल मांगी गयी धनराशि (ग) अतिरिक्त शुल्क का मांग पत्र जिस माध्यम से प्रेषित किया गया (घ) अतिरिक्त शुल्क के प्राप्ति की तिथि व धनराशि (ड़) अतिरिक्त शुल्क मांगने में यदि विलम्ब हुआ है तब विलम्ब का औचित्यपूर्ण कारण
7.	यदि मांगी गयी सूचना तृतीय पक्ष से संबंधित है अथवा किसी की निजी सूचना है तब – (क) तृतीय पक्ष को अपना पक्ष प्रस्तुत किए जाने हेतु प्रेषित पत्रांक व दिनांक (ख) तृतीय पक्ष का प्रतिउत्तर प्राप्त होने की तिथि (ग) लोक सूचना अधिकारी द्वारा तृतीय पक्ष को अपने निर्णय से अवगत कराए जाने संबंधी पत्रांक व दिनांक का विवरण
8.	आवेदक को सूचना प्रेषित किए जाने की दिनांक, पत्र जिस माध्यम से आवेदक को प्रेषित किया गया है,
9.	आवेदक जिसके द्वारा सूचना मांगी गयी है को 30 दिन के अन्दर यदि सूचना प्रेषित नहीं की गयी है तब प्रेषित न किए जाने का औचित्यपूर्ण कारण
10.	आवेदन प्राप्त होने की तिथि से आयोग में द्वितीय सुनवाई के मध्य यदि लोक सूचना अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन एक से अधिक अधिकारियों के द्वारा किया गया है तब संबंधित लोक सूचना अधिकारी का नाम, पदनाम, कब से कब तक लोक सूचना अधिकारी के दायित्वों का निवर्हन किया गया, वर्तमान में किस पद व स्थान पर कार्यरत हैं।

अपीलीय अधिकारियों के लिए प्रारूप

1.	प्रथम अपील/विभागीय अपीलीय पत्र विभागीय अपीलीय अधिकारी को प्राप्त होने की दिनांक
2.	प्रथम अपील/विभागीय अपीलीय पत्र पर सुनवाई हेतु नियत की गई सुनवाई की तिथि
3.	लोक सूचना अधिकारी तथा अपीलकर्ता को सुनवाई का नोटिस प्रेषित किए जाने का पत्रांक व दिनांक
4.	सुनवाई का नोटिस प्रेषित किए जाने का माध्यम
5.	प्रथम अपील/विभागीय अपील के आदेश के घोषित होने की दिनांक
6.	यदि प्रथम अपील का निस्तारण नहीं किया गया है या विलम्ब से किया गया है तब प्रथम अपील का निस्तारण न करने या विलम्ब से करने का औचित्यपूर्ण कारण
7.	प्रथम अपीलीय पत्र प्राप्त होने की तिथि से आयोग में द्वितीय सुनवाई के मध्य यदि विभागीय अपीलीय अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन एक से अधिक अधिकारियों के द्वारा किया गया है तब संबंधित विभागीय अपीलीय अधिकारी का नाम, पदनाम, कब से कब तक विभागीय अपीलीय अधिकारी के दायित्वों का निवर्हन किया गया, वर्तमान में किस पद व स्थान पर कार्यरत हैं

इस पत्रिका की डिजिटाईज्ड प्रति आयोग की वैब साईट http://uic.gov.in **पर भी उपलब्ध है ।**

विभागीय अपीलीय अधिकारी : एक कमजोर कड़ी

''उत्तराखण्ड में सूचना का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के तीन वर्ष उपरांत विभागाध्यक्ष / लोक प्राधिकारी के स्तर पर प्रथम अपील का निस्तारण सूचना का अधिकार अधिनियम के सबसे कमजोर पहलू के रूप में उभर कर सामने आया है।''

यह टिप्पणी उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा 2000 में प्रकाशित एक पुस्तिका की प्रस्तावना के पहले प्रस्तर में ही की गई है। सात साल बाद, अर्थात अधिनियम राज्य में लागू होने के दस साल बाद भी वही स्थिति है। बल्कि शायद पहले से भी कुछ खराब ही हुई है। जिस पुस्तिका में उपरोक्त टिप्पणी की गई है, उसमें प्रथम अपील सुनने की प्रक्रियाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। पुस्तिका में विभागीय अपीलीय आदेश किस तरह से लिखने चाहिए, यह भी बताया गया है। यह भी कहा गया है कि किस तरह लोक प्राधिकारियों, अथवा विभागाध्यक्षों को समय–समय पर विभागीय अपीलीय अधिकारियों के कामकाज की समीक्षा कर लेनी चाहिए।

निवर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त श्री एन.एस. नपलच्याल ने भी सभी राज्य सूचना आयुक्तों से विचार–विमर्श के बाद विभागीय अपीलीय अधिकारियों के लिए विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किए थे।

विभागीय अपीलीय अधिकारियों के सुलभ संदर्भ के लिए तत्कालीन मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन श्री आलोक कुमार जैन द्वारा समस्त प्रमुख सचिव/सचिव तथा समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड को प्रेषित पत्र द्वारा जारी किए गए दिशा–निर्देशों को यहां एक बार फिर प्रस्तुत किया जा रहा है :

1. अपील की प्राप्ति पर समस्त प्रथम अपीलीय अधिकारियों द्वारा सुनवाई हेतु तिथि नियत करते हुये अपीलकर्ता एवं सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी को निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान की सूचना डाक के माध्यम से दी जाए।

2. समस्त प्रथम अपीलीय अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा प्रथम अपील की सुनवाई तथा निस्तारण आवेदन प्राप्ति से 30 दिन की अवधि के भीतर कर दिया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–7 की उप धारा–6 के अधीन प्रथम अपील की सुनवाई / निस्तारण के दौरान अनुरोधकर्ता द्वारा अपेक्षित सूचना / अभिलेख निःशुल्क उपलब्ध कराया जाय। लोक सूचना अधिकारी द्वारा नियमानुसार समयान्तर्गत अतिरिक्त शुल्क के लिए आवेदक को यदि नोटिस निर्गत कर यथोचित अतिरिक्त शुल्क जमा करने के लिए अनुरोध किया गया हो, तब उस स्थिति में प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को स–शुल्क सूचना उपलब्ध करायी जाय।

3. प्रथम अपील पर दिये गये निर्णय को लिखित रूप में जारी करने में यदि निर्धारित अवधि (30 दिन) से अधिक समय लगता हो, तो इस अतिरिक्त अवधि के लिए लिखित में आवश्यक रूप से कारण अभिलिखित किया जाए तथा यह अतिरिक्त अवधि निर्धारित अवधि सहित किसी भी दशा में कुल 45 दिन से अधिक न हो।

4. अपीलकर्ता के सुनवाई तिथि की सूचना प्राप्त होने के उपरान्त भी उपस्थित न होने पर, अपीलकर्ता द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई का अन्य अवसर चाहने की स्थिति को छोड़कर, प्रथम अपीलीय अधिकारियों द्वारा अपील की सुनवाई की जाएगी। प्रथम अपीलीय अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी द्वारा अनुरक्षित की जा रही पत्रावली की जांच कर यह सुनिश्चित करेंगे कि अपीलकर्ता को प्रत्येक अनुमन्य / उचित सूचना / अभिलेख उपलब्ध करा दिये गये हैं तथा प्रकटन से छूट वाली सूचना / अभिलेख को लिखित रूप में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की संगत धाराओं के प्राविधानों के अधीन निरस्त कर दिया गया है। प्रथम अपीलीय अधिकारियों द्वारा लोक सूचना अधिकारी के निर्णय से इतर अपनी सहमति / असहमति को लिखित रूप में, कि किन बिन्दुओं पर असहमति है, कारण बताते हुए इंगित किया जायेगा।

5. समस्त प्रथम अपीलीय अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि दोनों पक्षों को प्रथम अपील की सुनवाई तिथि की सूचना ससमय उपलब्ध करा दी गई है, अनुरोधकर्ता को स–शुल्क अथवा निःशुल्क प्रदत्त सूचनाओं / अभिलेखों एवं प्रथम अपील में पारित निर्णयों का अनुरक्षण पत्रावली में व्यवस्थित रूप से किया गया है।

6. प्रथम अपीलीय अधिकारियों द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि लोक सूचना अधिकारियों द्वारा 'तृतीय पक्ष' को आवश्यकतानुसार अवसर देते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 11 में 'तृतीय पक्ष' से सम्बन्धित प्राविधानों का पालन किया गया है।

7. अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रथम अपील पर दिये गये निर्णय को लिखित में तिथि सहित जारी किया जाए, जिसकी पठनीय प्रतियॉ अपीलकर्ता एवं लोक सूचना अधिकारी को भी उपलब्ध करायी जाए।

8. प्रथम अपीलीय अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि समस्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा अनुरोधकर्ता हेतु अपेक्षित सूचना तैयार करते समय, शासनादेश सं0–146 दिनांक 22 मार्च, 2005 के संलग्नक 9 (निरस्तीकरण हेतु) तथा संलग्नक 10 (सूचनाओं को तैयार करने हेतु) में निर्धारित प्रारूपों का प्रयोग किया गया है, जिसके सन्दर्भ में यह भी सुनिश्चित किया जाए कि अनुरोधकर्ता को इस तथ्य की जानकारी दी गयी है कि निरस्त की गयी / उपलब्ध करायी गयी सूचना से असंतुष्ट होने की स्थिति में वह प्रथम अपीलीय अधिकारी के स्तर पर प्रथम अपील योजित कर सकते हैं, जिसका सम्पूर्ण विवरण (अपीलीय अधिकारी का नाम व पते सहित) लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्र के अंत में अंकित किया जाए।

9. उपरोक्त के अतिरिक्त प्रथम अपीलीय अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रथम अपील का निर्णय उनके द्वारा नाम व तिथि सहित हस्ताक्षरित किया गया है तथा उसके अन्त में अनुरोधकर्ता को द्वितीय अपील करने के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड सूचना आयोग का पता उपलब्ध कराया गया है।

अतः कृपया अपने नियंत्रणाधीन विभागों में नामित प्रथम अपीलीय अधिकारियों के स्तर पर उपरोक्त दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

उम्मीद की जाती है कि प्रदेश के सभी विभागीय अपीलीय अधिकारी तत्कालीन मुख्य सचिव के निर्देशों को गंभीरता से लेंगे ताकि प्रदेश में सूचना अधिकार अधिनियम का समुचित क्रियान्वयन हो सके।

देश के विभिन्न सूचना आयोगों में नियुक्त मुख्य सूचना आयुक्तों की सूची

क्र.सं.	सूचना आयोग	मुख्य सूचना आयुक्त	पूर्व सेवा
1	आन्ध्र प्रदेश	श्री जन्नत हुसैन	आई.ए.एस. (से. नि.)
2	अरूणाचल प्रदेश	श्री वाई. डी. थोंगची	आई.ए.एस. (से. नि.)
3	असम	श्री हिमांशु सेखर दास	आई.ए.एस. (से. नि.)
4	बिहार	श्री अशोक कुमार सिन्हा	आई.ए.एस. (से. नि.)
5	छत्तीसगढ़	श्री सरज़ियस मिंज़	आई.ए.एस. (से. नि.)
6	गुजरात	श्री बलवन्त सिंह	आई.ए.एस. (से. नि.)
7	हरियाणा	श्री नरेश गुलाटी	आई.ए.एस. (से. नि.)
8	हिमाचल प्रदेश	श्री भीम सेन	आई.ए.एस. (से. नि.)
9	महाराष्ट्र	श्री रत्नाकर गायक्वाड	आई.ए.एस. (से. नि.)
10	मणिपुर	श्री आर. के. अंगोसाना	आई.ए.एस. (से. नि.)
11	मेघालय	श्री सी.डी. किंजिंग	आई.ए.एस. (से. नि.)
12	मिज़ोरम	श्री एल. रांगनावना	आई.ए.एस. (से. नि.)
13	ओडिशा	श्री प्रमोद कुमार मोहन्ती	आई.ए.एस. (से. नि.)
14	पंजाब	श्री सरवन सिंह चानी	आई.ए.एस. (से. नि.)
15	राजस्थान	श्री टी. श्रीनिवासन	आई.ए.एस. (से. नि.)
16	सिक्किम	श्री के. टी. चनकपा	आई.ए.एस. (से. नि.)
17	तमिल नाडू	श्री के. एस. श्रीपथी	आई.ए.एस. (से. नि.)
18	त्रिपुरा	श्री के. बी. सत्यनारायण सहाय	आई.ए.एस. (से. नि.)
19	उत्तर प्रदेश	श्री जोवद उस्मानी	आई.ए.एस. (से. नि.)
20	पश्चिम बंगाल	श्री के. जॉन कोशी	आई.ए.एस. (से. नि.)
21	कर्नाटक	श्री ए. के. एम. नायक	आई.ए.एस. (से. नि.)
22	केरल	डा. सिबि मैथ्यूज़	आई.पी.एस. (से. नि.)
23	झारखण्ड	श्री हरिशंकर प्रसाद	न्यायिक सेवा (से.नि.)
24	मध्य प्रदेश	श्री के. डी. खान	न्यायिक सेवा (से.नि.)
25	जम्मू कश्मीर	श्री जी. आर. सूफी	आई.आर.एस. (से.नि.)
26	नागालैण्ड	श्रीमती केविनिनो पी. मेरू, जो पूर्व में राज्य सूचना आयुक्त थीं, को वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यभार दिया गया है.	राजकीय सेवा (से.नि.)
27	उत्तराखण्ड	श्री प्रभात डबराल, जो पूर्व में राज्य सूचना आयुक्त थे, को वर्तमान में राज्य सूचना आयोग का प्रभार दिया गया है.	पत्रकार
28	गोवा	वर्तमान में कोई मुख्य सूचना आयुक्त/राज्य सूचना आयुक्त कार्यरत नहीं हैं.	
29	केन्द्रीय सूचना आयोग	वर्तमान में कोई मुख्य सूचना आयुक्त कार्यरत नहीं हैं.	

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

राज्य सूचना आयुक्त
अनिल कुमार शर्मा

प्र. मुख्य सूचना आयुक्त
प्रभात डबराल

राज्य सूचना आयुक्त
राजेन्द्र कोटियाल

राज्य सूचना आयुक्त
सुरेन्द्र सिंह रावत

सचिव
नरेन्द्र सिंह, पी.सी.एस.

शोध अधिकारी
राजेश नैथानी

विधि अधिकारी
टी. एस. बिष्ट

सहायक लेखाधिकारी
मनमोहन नैथानी

समीक्षा अधिकारी
भूपेन्द्र पपनै

समीक्षा अधिकारी
हीरा रावत

सहा. समीक्षा अधिकारी
उमेश चन्द्र कपकोटी

सहा. समीक्षा अधिकारी
सौरभ कुमार

''फेसबुक''

उत्तराखण्ड सूचना आयोग के 'फेसबुक पृष्ठ' को नए सिरे से संगठित किया जा रहा है। इसके लिए आयोग में ही एक टीम गठित की गई है। प्रभारी मुख्य सूचना आयुक्त की देखरेख में यह टीम आयोग के शोध–कर्ताओं द्वारा दी गई लोकोपयोगी जानकारियों के साथ–साथ आयोग तथा विभिन्न अदालतों के महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी भी फेसबुक पर देगी। सरकार की ऐसी कई सूचनाएं जो लोकोपयोगी हैं लेकिन उनका ज्यादा प्रचार नहीं हो पाया है, वे भी इस पृष्ठ में डाली जा सकेंगी। आयोग के समक्ष सुनवाईयों के दौरान ऐसी कई जानकारियॉं सामने आती रहती हैं। लोक सूचना अधिकारी भी इस पृष्ठ में दी गई जानकारियों से लाभान्वित हो सकते हैं। इस पृष्ठ पर जाने के लिए आप Uttarakhand Information Commission क्लिक कर सकते हैं।

उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रभावी उपयोग एवं क्रियान्वयन के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए किया गया प्रयास ।

पत्रिका को और अधिक उपयोगी बनाने हेतु पाठकों से सुझाव आमंत्रित हैं ।

उत्तराखण्ड सूचना आयोग, सूचना का अधिकार भवन, रिंग रोड, देहरादून. दूरभाष : 0135–2675780, टेलिफैक्स : 0135–2675779,
ईमेल : uicddn@gmail.com वैब : http://uic.gov.in